आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विविध वाद संख्या – 60 / 2017
गनपत यादव बनाम विनोद यादव

आदेश

इस वाद की कार्यवाही का आरंभ प्रथम पक्ष के आवेदन पर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत ग्राम चिनियां, थाना– चिनियां के निम्न विवरण की भूमि पर आरंभ की गई–

ग्राम	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	चौहदी
चिनियां	105	2037	0.03ए0	उ0– दिलीप यादव वगैरह द0– जगपत यादव पू0– प्रथम पक्ष प0– रास्ता
	105	2038	$0.12\frac{1}{2}$ ए0	उ0– दिलीप यादव वगैरह द0– जगपत यादव पू0– भईया राम यादव वगैरह प0– रास्ता
	105	2043	$0.08\frac{1}{2}$ ए0	उ0– भईया राम यादव वगैरह द0– दिलीप यादव वगैरह पू0– नीज प0– रास्ता

उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, चिनियां से स्थल जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार है कि प्रश्नगत भूमि का हाल सर्वे के वक्त दो भाईयों गणपत यादव एवं जगपत यादव के बीच मौखिक बटवारा हो गया था। हाल सर्वे में खाता सं0 105 जगपत यादव वो गणपत यादव पिता रामनंदन यादव दो अंश समान का खाता खुला है। प्लॉट सं0 2037 का खतियानी रकबा 6डी0, प्लॉट सं0 2038 का रकबा 47 डी0 एवं 2043 का रकबा 34 डी0 दर्ज है। बॅटवारा के अनुसार गणपत यादव को प्लॉट सं0 2037 में 3 डी0, प्लॉट सं0 2038 में $12\frac{1}{2}$ डी0 एवं प्लॉट सं0 2043 में $8\frac{1}{2}$ डी0 हिस्सा प्राप्त हुआ है। द्वितीय पक्ष जगपत यादव को भी इतना ही हिस्सा प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के क्र0सं0 (1) सहोदर भाई हैं एवं संपूर्ण भूमि में बराबर का हिस्सा है। किन्तु द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि में नीव काटने का प्रयास कर रहे है। प्रथम पक्ष एक अन्य आवेदन देकर खून खराबा की आशंका जताते हुये वाद की कार्यवाही को द0प्र0सं0 की धारा में परिवर्तित करने की मांग करते है। द्वितीय पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत प्लॉट 2037 रकबा 0.03 डी0 में द्वितीय पक्ष का मकान है जिसे वे मरम्मत करा रहे थे तो प्रथम पक्ष ने काम रोक दिया। प्रश्नगत भूमि के कुल रकबा में द्वितीय पक्ष के हिस्से पर ही प्रथम पक्ष द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 144 का आवेदन दिया।

प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान है जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा षडयंत्र के तहत छिपाया गया है।

अंचल अधिकारी, चिनियां ने अपने पत्रांक 93 दिनांक 09.05.2017 द्वारा भेजे गए जॉच प्रतिवेदन में लिखा है कि प्रश्नगत भूमि प्लॉट सं0 2037 रकबा 0.03 ए0 में द्वितीय पक्ष विनोद यादव पिता जगपत यादव का मकान है जिसे मरम्मत किया जा रहा था। प्लॉट सं0 2038 रकबा $0.12\frac{1}{2}$ ए0 में द्वितीय पक्ष जगपत यादव पिता रामनन्दन यादव का मकान है। प्लॉट सं0 2043 रकबा $0.08\frac{1}{2}$ ए0 भूमि खाली है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में प्लॉट सं0 2037 एवं 2038 में मकान है जिसे प्रथम पक्ष के आवेदन में नहीं दर्शाया गया। प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन या कारण पृच्छा में कहीं नहीं दर्शाया है कि किस प्लॉट में नींव काटने के कारण विवाद हुआ। इस कारण प्रथम पक्ष का द0प्र0सं0 की धारा 145 में वाद को परिवर्तित करने का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। वाद की समय सीमा समाप्त। वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।

20/5/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2022.10.13 18:19:27 +05:30
Location: 10.93.21.244